जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के परिवारों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश

1. योजना में ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 06.07.2016
2. योजना में आवेदन की अंतिम तिथि	दिनांक 31.08.2016

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है विस्तृत विवरण www.mhupa.gov.in पर देख जा सकता है **योजना से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।**

प्रस्तावनाः–

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 दिनांक 26.09.15 को जारी की जा चुकी है। योजना का विस्तृत विवरण www.udhrajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में गाईड लाईन्स दिनांक 17.06.2015 से लागू की गयी है। विस्तृत विवरण www.mhupa.gov.in पर देख जा सकता है प्राधनमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन की सामान्य शर्ते :–

आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा निम्न प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन कर पात्र पाये जाने पर ही आवेदन–पत्र भरा जाना चाहिएः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना के बिन्दु सं. 3 के अन्तर्गत उपलब्ध विकल्प संख्या–4 **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान (Beneficiary laid Individual House Construction)** आर्थिक द्वष्टि से कमजोर आयवर्ग (EWS) के परिवार, जिनके पास स्वयं का भूखण्ड अथवा आवास है, उन्हे नये आवास निर्माण अथवा वर्तमान आवास में वृद्वि किये जाने हेतु (either construct new houses on enchance existing houses on their own) 1.5 लाख रूपये का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध हो सकता है, ऐसे लाभार्थी आवेदक सभी के लिए आवास कार्य योजना (HFAPOA) का हिस्सा होने चाहिए।
2. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग (EWS) के भूखण्डधारी जिनके पास स्वयं का भूखण्ड हो अथवा वर्तमान आवास में वृद्वि करना चाहे तो अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

3. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसार प्रस्तुत जानकारी/तथ्यों के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित भूखण्ड/आवास के स्वामित्व की जॉच संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा की जावेगी तथा प्रस्तावित भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन व लाभार्थी की अर्हताओ की जांच कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के स्वामित्व का है तथा आवेदक आर्थिक द्वष्टि से कमजोर आय वर्ग का है।

4. जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा सिटी लेवल योजना तैयार की जावेगी।

5. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेगे।

6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं को केन्द्रीय सैकसनिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी को प्रस्तुत किये जायेगे तथा अनुमोदन पश्चात् अनुदान राशि राज्य सरकार के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थी के खाते में 3 से 4 किश्तों में भवन निर्माण के स्तर के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आवेदक द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा परियोजना को अनुमोदन कराते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी के स्वयं के योगदान, भारत सरकार सहायता, राज्य सरकार सहायता आदि, सहित विभिन्न स्रोतों से नियोजित आवास के निर्माण हेतु आवेदक के पास अपेक्षित वित्त–पोषण उपलब्ध है। किसी ऐसे मामलों में, आवास के लिए भारत सरकार सहायता जारी नहीं की जाएगी जिसमें आवेदक के पास निर्माण की शेष लागत उपलब्ध नहीं है। अर्थात् आवेदक के पास केन्द्रीय अनुदान के अलावा निर्माण की शेष राशि उपलब्ध होनी चाहिए।

8. केन्द्रीय सहायता परियोजनाओं में चिह्नित लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

9. आवास के निर्माण की प्रगति के आधार पर 3–4 किश्तो में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की जावेगी। लाभार्थी स्वयं की धनराशि अथवा किसी अन्य निधि का प्रयोग करते हुए निर्माण आरम्भ कर सकता है तथा व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा निर्माण के अनुपात में भारत सरकार सहायता जारी की जाएगी। भारत सरकार सहायता की 30,000/–रू. की अंतिम किश्त आवास के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही जारी की जाएगी ।

10. एक व्यक्तिगत परिवार को दोहरा फायदा पहुंचाने से बचने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सभी के लिए आवास कार्य योजना (HFAPOA) के डाटा बेस में लक्षित लाभार्थियों के जन धन योजना/अन्य बैंक खाता संख्या और आधार संख्या/कोई अन्य

विशेष पहचान के ब्यौरों अथवा लाभार्थी के पैतृक जिले के राजस्व प्राधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण–पत्र को समेकित (Consolidated) किया जाएगा। परियोजनाओं की तैयारी और परियोजनाओं के अनुमोदन के समय आवेदकों की पात्रता सुनिश्चित करके लाभार्थियों को वैधता दी जाएगी।

11. एक लाभार्थी मौजूदा विकल्पों अर्थात निजी भागीदार के साथ स्लम पुनर्विकास, ऋण आधारित सब्सिडी, व्यक्तिगत लाभार्थी को प्रत्यक्ष सब्सिडी और भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत केवल एक लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी को मिशन के एक घटक से अधिक घटकों के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाए और सभी सहायता प्राप्त परिवार सभी के लिए आवास कार्य योजना (HFAPOA) के भाग हैं।

12. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न संघटको के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एम.सी) के अनुमोदन के पश्चात और मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (आई.एफ.डी) की सहमति से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाएगी। केन्द्रीय अंश का हिस्सा 40ः, 40ः और 20ः की 3 किस्तों में जारी किया जायेगा।

13. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) से आशय ऐसे परिवार से है जिसकी सकल वार्षिक आय (Gross Total Income) सभी स्त्रोतों से अधिकतम 1,50,000/–रूपये (एक लाख पंचास हजार रूपये मात्र) वार्षिक है।

14. आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय(पति,पत्नि,एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री की कुल आय सहित) वित्तीय वर्ष 2015–16 (01.04.2015 से 31.03.2016 तक) के आधार पर होनी चाहिए।

आवेदन करने की अनिवार्य पात्रता :

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।
3. आवेदनकर्ता अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
4. योजना के अन्तर्गत भूखण्ड स्वयं आवेदनकर्ता के नाम पर होना चाहिए।
5. नये आवास निर्माण अथवा वर्तमान आवास में वृद्धि किये जाने हेतु अधिकतम अनुदान 1.5 लाख रू. होगा।
6. भूखण्ड परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया एवं उसकी पत्नि के संयुक्त नाम में होना चाहिए। परिवार में व्यस्क महिला सदस्य नहीं होने पर आवास परिवार के पुरूष सदस्य के नाम हो सकता है।
7. परिवार की सकल वार्षिक आय 1,50,000/–रूपये (सभी स्त्रोतों) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) भूखण्ड से आशय अधिकतम 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड से है।
9. आवेदित भूखण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित होना चाहिए।
10. आवेदक के नाम से आवंटित भू–खण्ड के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा अन्य स्थानीय निकाय द्वारा जारी लीज डीड़ अथवा राजस्व प्राधिकारी से जारी भूखण्ड/आवास स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। (केवल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर्याप्त नहीं है)
11. आवेदक के स्वयं के अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम मोबाइल फोन होना आवश्यक है।
12. संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा। आवेदक का बैंक खाता केवल आवेदक के नाम से ही होना चाहिए।
13. एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नि, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित पुत्रियॉ शामिल होगें।
14. इस मिशन के अंतर्गत निर्मित अथवा विस्तारित सभी आवासों में अनिवार्य रूप से शौचालय की सुविधा होना चाहिए।

आवेदन करने की प्रक्रिया :

1. प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें।
2. आवेदन करते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर ऑनलईन आवेदन में भरने पर मोबाईल नम्बर की पुष्टि (Confirm) करने हेतु कम्प्यूटर द्वारा उक्त मोबाईल पर OTP (One Time Password) एक बारीय पासवर्ड संख्या भेजी जावेगी। जिसे ऑनलाईन आवेदन के भरने में पश्चात् ही शेष फार्म भरा जा सकेगा।
3. मोबाईल नम्बर का OTP (One Time Password) के द्वारा सत्यापन के उपरांत दर्ज मोबाईल नम्बर पर सन्देश के साथ पासवर्ड भेजा जावेगा जो कि भविष्य में अधूरे आवेदन को संपूर्ण करने हेतु आवश्यक होगा।
4. आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।
5. अधूरे भरे हुवे आवेदन को अंतिम रूप देने एवं संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जिसके लिये आवेदक को अपने मोबाईल नम्बर, पासवर्ड एवं जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। यदि आवेदन को अंतिम रूप दिया जा चुका है तो आवेदन में किसी भी प्रकार के शुद्विकरण का विकल्प उपलब्ध नही होगा।

आवेदन–पत्र के साथ अपलोड (Upload) किये जाने वाले दस्तावेज

1. आवेदक का कोई एक फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि
   - मतदाता पहचान पत्र
   - बी.पी.एल कार्ड
   - आधार कार्ड
   - ड्राईविंग लाईसेन्स
   - भामाशाह कार्ड
   - पासपोर्ट
   - अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र
2. आवेदक के नाम से आवंटित भू–खण्ड के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा अन्य स्थानीय निकाय द्वारा जारी लीज डीड़ अथवा राजस्व प्राधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति।

****